

कि इसका उपयोग करने में हम हिचकिचाते हैं। लेकिन इस बात को जरूर चाहते हैं कि कोई यह न कह सके कि राजनीतिक विरोधियों का दमन करने के लिए या उनको दबाने के लिए कानून का उपयोग किया गया। वैसे किसी प्रकार की हिचकिचाहट हमारे मन में नहीं है। हम इस बात का आश्वासन देना चाहते हैं कि किसी के मन ऐसी कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि इस तरह के उद्देश्य से इस बिल को लाया गया है। इसका उद्देश्य मैं बतला चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ सदन के द्वारा इसका समर्थन किया जायगा।

MR. CHAIRMAN : The question is :

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

16.48 hrs.

COAL BEARING AREAS (ACQUISITION AND DEVELOPMENT) AMENDMENT BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS (SHRI JAGANATH RAO) : Mr Chairman, Sir, I beg to move :

“That the Bill further to amend the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

Before the commencement of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, on the 12th June, 1957, proceedings for acquisition of land for the purpose of prospecting coal seams for the development of collieries to be owned and worked by the Central Government used to be Undertaken under Part II of the Land Acquisition Act, 1894. Acquisition proceedings started by six notifications issued in the years 1956-57 under sub-section (1) of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, in respect of certain lands situated in Madhya Pradesh were pending at the time of commencement of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957. By virtue of the provisions of sub-section (1) of section 28 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act,

the aforesaid notifications issued under section 4(1) of the Land Acquisition Act, 1894 were deemed to have been issued by the Central Government under section 4 of the Coal Bearing Areas Act, as if this Act had been in force on the dates of issue of these notifications.

Sub-section (2) of section 28 of the Coal Bearing Areas Act saved every notification issued before the commencement of this Act under section 6 of the Land Acquisition Act by providing that such notification shall be deemed to have been issued under section 9 of the Coal Bearing Areas Act.

Similarly, sub-section (3) of section 28 of the Coal Bearing Areas Act provided that any objection preferred under section 5-A of the Land Acquisition Act, 1894 shall be deemed to be an objection preferred under section 8 of the Coal Bearing Areas Act and might be disposed of as if the objection had been made in relation to a notification issued under section 7 of the Coal Bearing Areas Act so that the Central Government might at any time make a declaration under section 9 of the Coal Bearing Areas Act in respect of the land covered by such notification.

The effect of these provisions of section 28 of the Coal Bearing Areas Act was that notifications issued under the relevant sections of the Land Acquisition Act, 1894 were treated as notifications issued under the corresponding sections of the Coal Bearing Areas Act so that the acquisition proceedings initiated under the Land Acquisition Act, 1894 could be proceeded with, without fresh notifications being issued under the corresponding sections of Coal Bearing Areas Act.

In the case of four notifications out of the six issued under section 4(1) of the Land Acquisition Act, there was no difficulty in applying the provisions of section 28 of the Coal Bearing Areas Act. In respect of these four notifications, objections had been preferred under section 5-A of the Land Acquisition Act, 1894, and therefore these objections were, under sub-section (3) of section 28 of the Coal Bearing Areas Act, treated as objections preferred under section 8 of the Coal Act with the result that it was open to the Central Government to proceed to make a declaration under section 9 of the Coal Act

without issuing any notification under section 7 of this Act.

16.52 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

But difficulties arose in respect of the remaining two notifications because there was a slight lacuna in section 28 of the Coal Bearing Areas Act. The lacuna was that while sub-section (3) of section 28 of the Coal Bearing Areas Act did provide for a case where objection had been preferred under section 5-A of the Land Acquisition Act, 1894, there was no provision in that section to meet a case where no such objection had been preferred under the said section 5-A of the Land Acquisition Act, 1894, before the commencement of the Coal Bearing Areas Act. Hence, the two cases above referred to did not fall squarely within the scope of section 28 of the Coal Act. In a writ petition before the Madhya Pradesh High Court in which the validity of one of these notifications was challenged, the acquisition proceedings were declared illegal in the ground that the notification under section 9 was not preceded by a notification under section 7 of that Act giving notice of the intention to acquire the lands concerned.

It is, therefore, proposed to make a clarificatory amendment to section 28 of the Coal Bearing Areas Act to the effect that in cases where acquisition proceedings were initiated under the Land Acquisition Act, 1894 and no objection had been filed under section 5-A of that Act, action under the Coal Bearing Areas Act could be taken as if notification under section 7 of that Act had been issued and no objection under section 8 had been preferred and also to validate the two notifications in question.

Sir, this is a simple Bill of a clarificatory nature, and I move that this may be taken into consideration.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill further to amend the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act 1957, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

श्री सूरज भान (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी इससे पहले बिल पर बोलते हुए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सरकार का निकम्मापन है जिसके कारण कि वह देखती नहीं है कि कानून में कितनी खामियाँ रह जाती हैं। सरकार की नाअहलियत इस बात से भी जाहिर हो जाती है कि उसने 1894 के एक्ट को 1957 में अमेंड किया और अमेंड करते वक्त अपनी नाअहलियतपन के कारण देखा नहीं कि इसमें क्या कमियाँ रह गयीं। फिर 1957 के अमेंडमेंट को भी अमेंड करने के लिए यह एक बिल लायी और 1967 में राज्य सभा से पास करा लिया। अगर इतना ज़रूरी ही था तो 1967 के बाद दो साल में हाउस में आने की क्या वजह है। अगर दस साल बाद यानी 1977 में लाते तो क्या हर्ज था ?

इस सिलसिले में मंत्री महोदय ने बताया है कि इसमें एक कानूनी खामी थी उसको दूर करने के लिए यह बिल लाये हैं। यह बात तो ठीक है। लेकिन साथ ही कुछ और चीजें भी हैं जिनकी तरफ मैं मंत्री-जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

पहली चीज यह है कि यह कस खास तौर पर मध्य प्रदेश के कुछ कसों के सिलसिले में उठा है। मध्य प्रदेश में पार्टीपन के कारण कुछ जमींदारों की जमीन को जानबूझकर गलत तौर पर कहे दिया जाता है कि इसमें कोयला है। इस बारे में कोई एक्सपर्ट ओपीनियन नहीं ली जाती है। उनको खराब करने के लिए यह कह दिया जाता है कि इस जमीन में कोयला है। मैं मंत्री महोदय से कहूँगा कि इस किस्म की ओपीनियन ली जाये, एक्सपर्ट अपनी ओपीनियन दे कि वाकई कोयला यहाँ पर है या नहीं। और फिर यह भी होना चाहिए कि खोज करने की कोई टाइम लिमिट रखी जाये। यह नहीं होना चाहिये कि जमींदार की जमीन एकवार कर ली और फिर चार साल तक कोई खोज नहीं की। कम से कम यह तो कर दिया जाय कि जब तक खोज शुरू नहीं करते तब तक वह

जमींदार अपनी खेती उस जमीन पर करता रहे। कई बार ऐसे इंस्टांसेज नोटिस में आये हैं कि जमीन में खोज शुरू कर दी गयी और कोयला नहीं निकला, और फिर जमीन में गड्ढे पड़ जाते हैं तो उस जमीन को बेकार छोड़ दिया जाता है।

मेरा निवेदन है कि अगर ऐसी इन्सटान्सेज आपके नोटिस में आ जाती हैं कि जमीन खराब हो गई तो सरकार का यह फर्ज है कि जमीन को लेवलिग करके उस जमीन को उसके पुराने मालिक जमींदारों को वापस कर दें। कम से कम यह बात जरूर कर लेनी चाहिए।

आखीर में मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि सरकार की यह आदत हो गई है कि अपनी खामियों को पूरा करने के लिए पिछली तारीख से रिट्रोस्पेक्टिव डेट से एक्ट्स लागू करना चाहती है। इसमें तो करना पड़ेगा ही लेकिन आयन्दा के लिए सरकार मोहताज हों जाए और कानूनों को पिछली तारीखों से लागू करना बन्द कर दे।

श्री महाराज सिंह भारती (मेरठ) : उपाध्यक्ष महोदय, अदालत के एतराज के बाद सरकार ने कानून में संशोधन करना जरूरी समझा और बिल आ गया, लेकिन जिन लोगों में सम्बन्धित यह बिल है, किसानों में, उनके सामने कितनी परेशानी आती है, उसका ध्यान शायद सरकार को पूरी तरह से नहीं होता। किसानों का पेशा ऐसा बंधा हुआ पेशा है कि अगर आप उससे जमीन छीन लें तो उसके बाद वह किसी मतलब का नहीं रह जाता। वह कोई क्वालीफाइड इंजीनियर नहीं होता, कोई डाक्टर नहीं होता। वह उस पेशे का माहिर है जिसे वह कर रहा है और अगर वह उससे ले लिया जाए तो उसके बाद वह किसी मतलब का नहीं रह जाता। दुनिया में और सब चीज बाजार में बिकती हैं लेकिन जमीन बाजार में भी नहीं बिकती। वह लेने और देने वाले की गर्ज पर होती है। एक जमीन 100 रुपये एकड़ में मिल सकती है तो दूसरी जमीन 10,000 रुपये एकड़

में भी न मिले। जो उसको मुआविजा मिलता है उस मुआविजे का पूरे देश में कोई एक हिसाब नहीं है। जहां किमान आन्दोलन कर सकता हो, लड़ सकता हो, भगड़ सकता हो, जेल जा सकता हो, वहां उसको ज्यादा मुआविजा मिल सकता है, लेकिन जहां वह शराफत से चुप बैठ जाएगा, वहां उसका सत्यानाश हो जाएगा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है। दिल्ली में जो मुआविजा मिलता है, उसके मुकाबले दस सैंकड़ा भी मुआविजा उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता। गाज़ियाबाद की जमीन ली गई। अगर वे लोग नेहरूजी के प्रधानमंत्रित्व काल में यहां पार्लियामेंट को नहीं घेरते और डेढ़ महीने तक गाड़ियां नहीं पड़ी रहती किसानों की, तो उन्हें 6 पैसे गज का मुआविजा जो उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया था और जो बाद में बढ़कर एक रुपये और दो रुपये गज पर पहुंचा, वही मिलता। अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग हिसाब किताब है।

17 hrs.

जमीन के अन्दर जो खनिज पदार्थ हैं वह देश की सम्पत्ति हैं, उनमें कोई दो राय नहीं। देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से उसका दोहन होना चाहिए, वह निकालने चाहिए, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जब वह देश की सम्पत्ति है, तो किसी तरह में जो किसान उस पर बैठा हुआ है, पीढ़ियों में बैठा हुआ है, भूमिधर बना हुआ है, जो उसकी रोजी और रोटी का जरिया है क्या वह किसान देश की सम्पत्ति नहीं है? जब आप वह लेते हैं तो आप यह क्यों नहीं सोचते कि कोयला खदान का जब विकास किया जाएगा तो उस किसान को और उसके परिवार को नौकरी देने में नम्बर 1 प्राथमिकता दी जाएगी। सेन्ट्रल गवर्नमेंट इस बारे में क्यों नहीं सोचती कि मुआविजा देने में इतना घुटाला है और जो मुआविजा है वह भी नहीं के बराबर मिलता है जिससे वह अपनी जिन्दगी में इन्स्टा-बिलिश नहीं हो पाता। उस पर आप ध्यान नहीं देना चाहते। और मैं तो यह भी कहना चाहता हूँ कि जमीन के अन्दर जो खनिज पदार्थ

[श्री महाराज सिंह भारती]

निकल रहे हैं वह भी देश की सम्पत्ति हैं और अर्थ-व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी हैं, तो उनका सही रूप में इस्तेमाल हो। सरकार इस पर भी तो ध्यान नहीं देती। आसाम में क्रूड आयल के साथ जो गैस निकल रही है, आज उसको कई दिन जलते हुए हो गये, लेकिन गैस निकलना रोका नहीं जा सका। जमीन में उससे आग लग रही है और किसानों ने सरकार के ऊपर दावा किया है कि इस गैस के जलने की वजह से जो गर्मी पैदा होती है, उसकी वजह से जो उनकी धान की फसल नष्ट हो गई है, उसका मुआविजा दिया जाए, अदालत में केस लड़ा गया और सरकार ने कुछ मुआविजा दिया है। लाखों रुपये की रोज की गैस फुंक रही है और आपके पास कोई कानून नहीं है जिससे आपको सजा दी जा सके। आप इस देश की अनमोल सम्पत्ति जो हैं, जो एक रोज खत्म होने वाली है, हमेशा वह निकलेगी नहीं, उसकी एक मात्रा है, वह खत्म हो जाएगी और उसकी आप रक्षा नहीं कर रहे हैं।

आपको क्या सजा दी जाये उसके लिए जिसको आप नष्ट कर रहे हैं, जिसके लिए आप यह बिल लाये हैं, जिसको आप बहुत पुराने जमाने से लागू करते हैं, जिसे लागू करते वक्त आप यह भी नहीं समझना चाहते कि सचमुच में किसान की जमीन लिया जाना उचित था या नहीं। उसके अन्दर उतना कोयला था या नहीं। जरूरत पड़ेगी, कोई अफसर कहेगा तो आप जमीन ले लेंगे। इसके मुआवजे की आप चिन्ता नहीं करना चाहते। वही कोयला, जब उसका कोक बनाया जाता है तो उसमें से गैस निकलती है और जिसका प्रगतिशील देशों में जिन्होंने तकनीकी विकास किया है उन्हीं देशों में नहीं, आपके यहाँ भी बड़े पैमाने पर उस गैस का इस्तेमाल होता है। उसमें से कई तरह की चीजें निकलती हैं और कभी-कभी उस गैस की चीजें इतनी कीमती होती हैं कि कोक आपको फोकरट में मिल जाता है और उस गैस से बनी हुई चीजों से आपकी पूरी कीमत निकल आती है। लेकिन क्या सरकार ने इस ओर ध्यान

दिया कि जिस खनिज से हम राष्ट्रीय सम्पत्ति पैदा कर सकते हैं उस खनिज का आधे से ज्यादा कोयला कोक बनाने में खर्च हो रहा है, जिसकी गैस हवा में जाने के बाद आदमियों की तन्दुरुस्ती भी खराब करती है। आपने कभी कोई ऐसा कानून बनाना चाहा कि आप उन छोटी-छोटी पट्टियों को किसी कोआपरेटिव के अन्दर बाँधें। उन लोगों को जो गैस के इस्तेमाल में दिलचस्पी रखते हैं और उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आप कोआपरेटिव के बेसिस पर सरकार द्वारा तकनीकी मदद देकर उस गैस का इस्तेमाल किया जाये, कभी आपने सोचा ? नहीं सोचा। करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। देश को हानि पहुँचती है। किसान की जमीन आप देश की तरक्की के नाम पर ले सकते हैं, लेकिन इसी देश के खनिज कोयले की गैस को बरबाद करते हैं। यह बहुत ही दोषपूर्ण आपकी नीति है। इससे काम चलने वाला नहीं है। मैं तो सरकार से सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जब आप खनिज की उपयोगिता समझते हो तो फिर उस खनिज का अगर आप बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हो, उसका कोक अथवा अन्य तकनीकी विकास कार्य में आप इस्तेमाल कर सकते हो तो आपको खनिज निकालने की इजाजत है। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उसको जमीन के अन्दर से निकालने का अधिकार आपको नहीं है। हमारी आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी और जिस किसान को आप अपरूट करना चाहते हैं, जिसकी जमीन लेना चाहते हैं, अगर उसका इतना मुआवजा आप दे सकते हैं या बदले में उतनी ही अच्छी जमीन दे सकते हैं या उसको नौकरियाँ देकर रिहैबिलिटेड कर सकते हैं, जिसके बच्चे जमीन जाने के बाद हमें कहें कि वे भाग्यशाली किसान के बेटे हैं जिसकी जमीन के अन्दर कोयला निकला, और हमारे मजे हो गये। हमको इतनी अच्छी जमीन मिल गई और हमको इतना मुआवजा मिल गया या अच्छी नौकरी मिल गई, हमारी जमीन में कोयला निकल आया। अगर हिन्दुस्तान का किसान इस तरह से

बोले, तो उसकी जमीन लेना बहुत ही अच्छा है। और कहीं जमीन देने के बाद कोई यह कहे कि बुरा हो इस सरकार का, इसके अधिकारियों का, इतने दिनों से रोटी खा रहे थे, कमबस्तों ने जमीन ले ली, मुआवज़ा नहीं के बराबर मिला और एक फसल के बराबर भी नहीं मिला, जमीन नहीं मिली, हमको कोई नौकरी नहीं दी गई, हम तो साधारण मजदूर बनकर रह गये, इस सरकार का और इस योजना का नाश हो। अगर उसने यह कहा तो यह अच्छा नहीं है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल सदन में पेश किया गया है इसका उद्देश्य यह बतलाया गया है कि जो नये इलाके होंगे उन पर कैसे मालिकों को अधिकार दिया जाए। उनकी अधिकार-सीमा को बढ़ाने के लिए यह बिल है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में दो-तीन बातें निवेदन करना चाहूंगा।

पहली बात तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बात सही है कि जहां कोयला क्षेत्र मिले उनको काम में लाया जाय और उनसे कोयला निकाला जाये तथा इसके लिए जो भी उपाय सम्भव हों, उन्हें किया जाय। लेकिन इस सिलसिले में यह जरूर कहूंगा कि आज आप यह अधिकार तो कोयला निकालने वालों अथवा कोयला खानों के मालिकों को दे रहे हैं, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती कि जो कानून सरकार के बनाये हुए हैं उनका पालन मालिक लोग अपने कर्मचारियों और मजदूरों के साथ करें। वह उन कानूनों का पालन नहीं करते और मनमानी करते हैं।

मैं आपके सामने असम का उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। वहां पर लेडू और मारवेरिटा नाम की दो कोयला खानें हैं। आज यह दोनों अंग्रेजों के कब्जे में हैं। आज हिन्दुस्तान तो आजाद हो गया लेकिन विदेशी लोग हमारे आर्थिक जीवन पर आज भी कब्जा किये हुए हैं,

जिसका उदाहरण यह दो कोयला खानें हैं। वह उनके कब्जे में हैं लेकिन उनके यहां जो मजदूर काम करते हैं, अपने खून को पसीना बनाकर कोयले का उत्पादन करते हैं, उनके साथ किसी कानून का पालन नहीं होता। जो सुविधायें आज सरकार ने कानून की माफत उनको दी हैं उनको भी देने के लिए वह तैयार नहीं हैं। लगभग 100 वर्षों से वह मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, लेकिन आश्चर्य है सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती।

जरूरत इस बात की है कि जब आप कोयला मालिकों को अधिकार दे रहे हैं तब आप अपना यह कर्तव्य भी पूरा करें कि जो धन पैदा करता है, जो लोग हमारे खनिज पदार्थ निकालते हैं उनकी दिक्कतें दूर हों। लेकिन मुझको विश्वास है कि हमारे देश के अन्दर जो कोयला मालिक हैं वे अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य तो ज्यादा से ज्यादा शोषण करना है। देश का भला हो, बुरा हो इसका विचार उनके दिमाग में नहीं आता। उनका तो मतलब यह होता है कि उनकी तिजोरी कैसे भरे।

मैं इस सिलसिले में यह कहना चाहूंगा कि बजाय इस तरह का कानून बनाने के क्यों नहीं आप इन कोयला खानों को अपने हाथ में ले लेते? क्यों नहीं उनका राष्ट्रीयकरण कर देते? राष्ट्रीयकरण किये बगैर आप न ज्यादा से ज्यादा कोयला निकाल सकते हैं और न कोयले की कीमतों पर कोई नियन्त्रण स्थापित कर सकते हैं, न ही मजदूरों को सहूलियतें दिलवा सकते हैं। इन तमाम कार्यों को करने के लिए मैं समझता हूँ कि आप कोयला खानों को अपने हाथ में ले लीजिये और सबसे पहले उन दो खानों को लीजिये, जिन पर अंग्रेज अभी भी काबिज हैं, जिन पर उनका अधिकार अब भी कायम है और जो हमारे यहां की जनता का शोषण कर रहे हैं। सबसे पहला अनुरोध मेरा यही होगा कि बजाय उनको अधिकार देने के आप सारी खानों पर कब्जा कर लीजिये।

[श्री रामावतार शास्त्री]

आप मालिकों को अधिकार तो बहुत देते हैं, लेकिन वे दिन-रात आपके कानूनों का उल्लंघन करते हैं। आप इसको कैसे पकड़ियेगा ? मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे यहां राजा रामगढ़ हैं, वह कभी जनता पार्टी बनाते हैं, कभी स्वतन्त्र पार्टी के नेता होते हैं, कभी कांग्रेस में चले जाते हैं और फिर कांग्रेस के साथ कोयलेशन सरकार में जाते हैं। वह बड़े नामी आदमी हैं, सरकार का बड़ा पैसा खाने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं। सरकार का करोड़ों रुपयों का माल लेकर बैठे हुए हैं, जिसके बारे में अभी आपने कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला देखा होगा। वह आज भी बहुत-सी खानों पर कब्जा किये हुए बैठे हैं, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होती कि उनकी खानों को ले लें। क्यों नहीं होती है, इसके पीछे राजनीति है। आप चाहें तो एक दिन में ले सकते हैं, लेकिन आज बिहार की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसको देखते हुए सरकार उनके पास खानों को छोड़े रखना चाहती है, साथ ही उनके ऊपर जो बकाया है करोड़ों रुपये का उसको भी माफ करना चाहती है ताकि वह आपका साथ दें। अभी मध्यावधि चुनावों के बाद जो राजनीतिक परिस्थिति बिहार में पैदा हुई उसमें कांग्रेस पार्टी के लिए यह सम्भव नहीं था कि वह सरकार की स्थापना अपनी ताकत पर कर सके। तब आपके स्वनामधन्य श्री हरिहरसिंह ने राजा को फांसा। उनसे कहा जाता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। संविद की सरकार ने उनके खिलाफ जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था, उसको इन्होंने वापस ले लिया। इस तरह से उनको इन्होंने फंसाकर कांग्रेस में शामिल करवा लिया। आपकी सरकार में इस पर बहुत हंगामा हुआ और कहा गया कि ऐसे आदमी को क्यों कांग्रेस में लिया जा रहा है। लेकिन शासन की बागडोर अपने हाथ में रखने के लिए, शासन सूत्र अपने हाथ में बनाये रखने के लिए, अपनी गद्दी को आबाद रखने के लिए

आपने उनके सारे पापों पर पर्दा डाला और आगे भी आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। आज के ही अखबारों में निकला है कि वहां कांग्रेस लैजिस्लेचर पार्टी के सैक्रेटरी श्री जयमंगल मिश्र एम०एल०ए० ने कहा है कि हम लोगों को हरी भंडी मिल गई है। ए० आई० सी० सी० के बंगलौर अधिवेशन में अध्यक्ष महोदय ने कह दिया है कि बिहार में तुम सरकार बनाओ। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या राजा रामगढ़ को भी आप सरकार में शामिल करेंगे तो उन्होंने कहा कि हां करेंगे। उनको सरकार में शामिल करने का एतन्मात्र उद्देश्य यह है कि आप गद्दी पर काबिज होना चाहते हैं और इस वास्तुतः उनको आप हर प्रकार की सहूलियतें देने को तैयार हैं।

एक बात और है। आप जानते हैं कि उनकी खानें डोरी में हैं। कई साल पहले वहां बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। उसमें बहुत से मजदूर मारे गये थे। उस पर एक इनक्वायरी कमीशन बैठा था। उसने कुछ फैसले किये थे। लेकिन उन फैसलों को आज तक लागू नहीं किया गया। उनको लागू न करने का कारण यह है कि राजा रामगढ़ को नाराज करना आप नहीं चाहते हैं। राजा रामगढ़ के साथ चौदह एम०एल०ए० हैं। उन सबका समर्थन आपको मिले यह आप चाहते हैं। बिहार की जनता को घूसने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनको साथ बनाये रखने के लिए आप किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इसीलिए आपने उनके खिलाफ जो रिसेवर एप्वाइंट हुआ था, संविद सरकार की तरफ से उसको वापिस ले लिया। बिहार में आपकी सरकार ने, हरिहरसिंह की सरकार ने उसको वापस ले लिया ..

सिच्वाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : आपकी पार्टी ने रास्ता दिखाया था।

श्री रामावतार शास्त्री : हमारी पार्टी ने तो बहुत से रास्ते आपको दिखाये हैं लेकिन

आप उन पर चलते ही कहां हैं। आप उन पर चलने को कतई तैयार नहीं हैं। अब ऐसा लगता है कि एक छंटा सा कदम आपने बढ़ाया है बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके। इसका मैं स्वागत करता हूं। आप कोयला खानों का भी राष्ट्रीयकरण कीजिये। राजा-महाराजाओं से आप फौरी स्वार्थों की खातिर दोस्ती कर रहे हैं, उसको बन्द कीजिये। जब आपने ऐसा किया तो देश में जनतंत्र का विकास होगा। लेकिन आप तो जनतंत्र की हत्या करने में विश्वास करते हैं। आप तो समाजवादी समाज की स्थापना करने की बात करते हैं। लेकिन स्वतंत्र पार्टी के लोग, जन संघ के लोग, जनता पार्टी के लोग, जो दकियानूसी लोग हैं, उनकी सहायता से आप समाजवाद नहीं ला सकेंगे। लेकिन आप उन्हीं पर भरोसा करते हैं। जनता पर आप भरोसा नहीं करते हैं। राजा रामगढ़ से आप सांठगांठ करते हैं और हमें डर है कि आइंदा भी आप उनके साथ करेंगे। (इंटरफ़ॉन्स) जो अच्छा काम इन्होंने किया है उसकी हम तारीफ करते हैं। सही मानों में लड़ाई अगर इन की हाने वाली है तो हमारे साथ होने वाली है। हम ही करने वाले हैं। हम ही समाजवाद लायेंगे, ये कभी नहीं लायेंगे। इसका कारण यह है कि इनकी पार्टी पूंजीवाद पार्टी है, टाटा बिड़ला की पार्टी है। क्षणिक स्वार्थों की वजह से, जनता के दबाव में आकर, जन आन्दोलन को देखते हुए इन्होंने बैंकों पर कब्जा करने का फंसला किया है। लेकिन जो अंतिम लक्ष्य है उसकी ओर जाने वाले ये नहीं हैं। इनकी ओर हमारी लड़ाई होगी, आपका समझौता हो सकता है। भारतीय क्रान्ति दल इनके साथ मिल सकता है, जन संघ मिल सकता है, स्वतंत्र पार्टी मिल सकती है लेकिन हम नहीं मिल सकते हैं। कांग्रेस में जो सिंडीकेट के लोग हैं वे उसी की तैयारी कर रहे हैं।

अगर आप चाहते हैं कि तमाम बुराई खत्म हो तो राजा रामगढ़ पर आप अंकुश लगाकर उनकी गैर-कानूनी हरकतों को रोकें। जनता की सम्पत्ति की रक्षा करें। आज राजा

रामगढ़ जनता का करोड़ों रुपया हड़पे बैठे हैं। उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। तब आप का कोयले का उत्पादन भी बढ़ेगा और कोयला जो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है वह भी पैदा होगा और सस्ता होगा। वरना ये जो मगरमच्छ हैं उनके हाथ में ही कोयला खानें रहेगी तो कोई फायदा नहीं होगा। इस वास्ते मेरा निवेदन है कि कोयला खानों का आप राष्ट्रीयकरण करो। सरकार इस बिल के बजाये कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण का बिल पेश करे। कोयला खानों के मालिकों से कहा जाये, चाहे वे विदेशी कम्पनियों के हाथ में हों और चाहे देशी कम्पनियों के, कि वे नये क्षेत्रों से कोयला निकालें, लेकिन वे मजदूर कानूनों का ठीक तरह से पालन करें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो। अगर यह कानून सचमुच क्रियान्वित किया जायेगा, तभी सरकार के उद्देश्य की पूर्ति होगी।

श्री फ० गो० सेन (पूर्णिमा) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि कोयला हमारी बहुत बड़ी सम्पत्ति है, लेकिन जलावन के अभाव में उसकी मांग और कीमत बहुत बढ़ गई है। मकानों की कमी है, लेकिन ईंटों के भट्टों में कोयला पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता है। हमारे यहां पूर्णिमा में कोयला न पहुंचने की वजह से ईंटों के दाम बहुत बढ़ गये हैं—50, 60 रुपये से बढ़ कर 80 रुपये हो गये हैं। वहां पर ट्रकों पर धनबाद से कोयला लाना पड़ा। सरकार को कोयले की डिस्ट्रीब्यूशन पर भी नजर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने पर एकाएक दाम बढ़ जाते हैं और लोगों को बड़ी दिक्कत होती है।

जैसा कि श्री भारती ने कहा है, जिस किसान की ज़मीन से कोयला निकलता है, जिसको डिसपोजेस किया जाता है, सरकार का यह जरूर देखना चाहिए कि उसको कम से कम नुकसान पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा मुआवज़ा मिले, ताकि वह किसी दूसरी जगह जा कर ज़मीन खरीद सके।

[श्री फ० गो० सेन]

जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, काश्तकारी में जिसको "सोना खाद" कहते हैं, उस गोबर को जला दिया जाता है। सरकार के पास जो सैंकंड ग्रेड कोल उपलब्ध हो, उसको कुछ स्टेखनों पर पहुंचा दिया जाये, जहां से काश्तकार उसको ले जायेंगे। इस तरह गोबर को खाद के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। सरकार ने कहा है कि वह एक इंडिविजुअल को सैंकंड ग्रेड कोल की तिजारत नहीं करने देगी, बल्कि जब चार पांच कम्पनियों की एक कम्पनी बनेगी, तब वह उसको सैंकंड ग्रेड कोल निकालने देगी। आवश्यकता इस बात की है कि सैंकंड ग्रेड कोल को निकालने की सुविधा दी जाये, ताकि वह लोगों के पास पहुंच सके और काश्तकार गोबर को जलाने के बजाये उसको खेतों में डाल सकें। हमारे देश में फर्टिलाइजर की कमी है और हमें बाहर से फर्टिलाइजर मंगाना पड़ता है। जलाने के लिए सैंकंड ग्रेड कोल का उपयोग करके हम "सोना खाद," गोबर को खेतों में डाल सकते हैं।

माइनिंग का इन्तहान पास किये हुए लोगों में बेकारी की समस्या बहुत भयानक रूप धारण कर चुकी है। हम यह भी देखते हैं कि अगर एक हजार लोग इन्तहान में बैठते हैं, तो केवल दस, बीस, पच्चीस पास होते हैं। लोग कई-कई सालों से इन्तहान में बंठ रहे हैं, लेकिन पास नहीं किये जाते हैं। ऐसे लोगों को पास करके काम करने का मौका देना चाहिए। किसी टेक्निकल ग्राउंड पर या बाइबाबोसी में उनको फेल कर देना उचित नहीं है। इस कारण हमारी बहुत सी मैनपावर बेकार पड़ी हुई है। इसलिए यह व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उन लोगों को एक टेक्निकल नालेज है उसको वह लोग काम में लगा सकें। उन लोगों को काम में लगाइए। आपके यहाँ कमी भी है। उस कमी को भी आपको देखना है। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री अम्बुल गनी डार (गुडगांव) : मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहता हूँ कि मज्र बढा ही गया ज्यों ज्यों दवा की। ख्याल तो यह था कि डीजेल के इस्तेमाल के बाद जब कि रेलवे और बड़े बड़े कारखाने डीजेल से चलने लगेंगे कोयले पर कुछ बोझ कम होगा और गरीबों को वह सस्ते दामों में मिल सकेगा जिनको गैस नहीं मिल सकती या जो बिजली का चूल्हा नहीं जला सकते या कैंरोसिन तेल भी बहुत महंगा होने से जो लोग वह भी नहीं ले सकते। लेकिन रेट तो बढ़ते ही चले गए।

दूसरी बात— जिसकी जमीन पर फिजिकली कब्जा लेना चाहते हैं क्या उसको मौका देंगे या नहीं कि वह अदालत से अपनी चाराजोई कर सके, सरकार से चाराजाई कर सकें, वह अपने दाम पूरे ले सके? ऐसा आप करेंगे या नहीं इसमें भी मुझे संदेह है। बहुत से हमारे प्यारे भाई हैं वह बिहार को ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान को रेप्रेजेन्ट करते हैं। वह कहते हैं कि पार्टी में दकियानूसी इनके साथ मिले हुए हैं इसलिए यह इनकी इमदाद पर भरोसा करते हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसी बातों में हम इनके साथ हैं। गरीब के मामले में हम अगर इनके आगे नहीं तो बी० के० डी० इनके साथ है। मैं भी बी० के० डी० को रेप्रेजेन्ट करता हूँ और कहता हूँ कि गरीब के मामलों में हम इनके सिपाही हैं। लेकिन हम तो मरेंगे यह नहीं मरेंगे। अभी तक जो लेफिटस्ट भाइयों ने रास्ता अस्तित्वार किया है वह इन्दिरा जी को रेप्रेजेन्ट करते हैं और वह हाउस में समभते हैं कि वह इन्दिरा जी के सिपाही हैं। तो उनको अपना रास्ता देखना चाहिए, वह हमको क्या सलाह देंगे? अभी-अभी मिस्टर बैंजॉर्जी ने मिस्टर संबीज रेड्डी पर एतराज किया कि संजीव रेड्डी जब आएंगे यह खबर निकली है, और वह कहते हैं कि स्वतंत्र पार्टी ने निकाली है कि अगर वह प्रेसीडेंट हो गए तो कानून को भंग कर देंगे। जैसे चरसखाने की खबर होती है, चरसखाने से

[شری عہد لغنی دار]

چرس خانے کی چیز ہوتی ہیں چرس خانے سے خبر نکلی کہ نادرشاہ مارا گیا اور دلی میں نادرشاہ کے سپاہیوں پر ہتھیار اٹھایا۔ نادرشاہ کو پتا نہ تھا تو اس نے اپنی تلوار بلند کی اور دلی میں قتل عام کا حکم دے دیا۔ تیس دنوں کے اندر لوگ دلی کے مارے گئے۔ مسٹر بجرجی کو پتا نہیں کس چرس خانے سے یہ خبر ملی لیکن میں کہتا ہوں کہ کانگریس والے کیوں منہ بند کئے ہوئے ہیں۔ کیا وہ بند زبان ہیں سنجھو ریڈ کے معاملے میں۔ اگر نہیں تو وہ کیوں نہیں منہ کھولتے۔

جہاں تک غریب کا تعلق ہے غریب کے معاملے میں انکی سرکار ایگی تب بھی ہم سانسہ دینگے۔ جب یہ حکومت میں آئے تب بھی سانسہ دینگے۔ لیکن ایمانداری سے میں مسٹر راو سے کہتا چاہتا ہوں وہ غریبوں کے بہت ہمدرد ہیں میں جانتا ہوں۔ وہ ہمیشہ اپنی طرف سے کرشمہ کرتے ہیں کہ غریبوں کو اسباب مہیا کریں۔ کسان جسکی زمین سے کوئلہ نکلتا ہے اس پر سرکار قبضہ جمانا چاہتی ہے لیکن کسی وقت تو یہ سوچنا ہی پڑے گا کہ جن کسانوں کی زمین سے تیل نکلا۔ ابرق نکلا کوئلہ نکلا تانبہ نکلا کیا اور بھائیدار نہیں ہیں کہ ان کے بچے بھی روٹی کھائیں۔ سرکار کو اس پر وچار کرنا چاہئے کہ جب کوئی دولت انکی زمین سے نکلے تو کچھ حصہ ان کو بھی دینا چاہئے۔ چاہے باقی سب کا سب نیشنلائز کر لیں لیکن نیشنلائز کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ دینا ہے۔

بجرجی صاحب سے میں کہونگا کہ قافلے بدھتے رہیں گے لوگ شور مچاتے رہیں گے۔ سنجھو ریڈی کا سوال نہیں ہے۔ کسی کا سوال نہیں ہے جو اچھا پریزیڈنٹ ہوگا وہ بیٹے اور اسمیں کمیونسٹ بھائی شور مچاتے رہیں ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔

SHRI JAGANATH RAO : While moving the motion for consideration of the Bill I had explained that the objective of the Bill was of a clarificatory nature.

It has been brought forward because of the judgment of the Madhya Pradesh High Court. This relates to section 28 of the 1957 Act. Notification was issued under section 4 (1) of the Land Acquisition Act of 1894 but no objections were raised. Objections were raised whether the Government could take over by issuing notification under section 9. Therefore, to remove that lacuna which was pointed out by the Madhya Pradesh High Court, this Bill was introduced in the Rajya Sabha and passed.

The hon. Members who spoke on the Bill, I am glad, referred to the need for working the coal mines in the coal-bearing areas and to the utilisation of coal that is available in the country, though that was not relevant to the Bill that we are now discussing. I can assure the House whenever any land is sought to be acquired for the purpose of exploiting coal or any other mineral, first, a prospecting licence is taken; and then drilling is done by the Geological Survey of India and a prospecting licence is applied for and as a result of prospecting and exploration, sufficient reserves of minerals are found. Then only a mining lease is granted by the Government or the State concerned to private persons, and the National Coal Development Corporation as such which is working these coal mines not only in Madhya Pradesh but in Bihar and neighbouring West Bengal starts working only after the GSI assures them about the reserves that are available. In Madhya Pradesh, no lands were taken away from the farmer and left fallow. It was only after it was discovered and estimated that there was sufficient reserve of coal to be exploited that these lands were acquired.

About compensation, it was stated by Shri Bharati that adequate compensation should be paid and more so to the farmers, and that there is no uniform norm for payment of compensation. I can assure him that compensation for land acquisition is fixed by the Land Acquisition Officer who is called the Compensation Officer, and if the party is not

satisfied by the amount that was sanctioned by the officer as award, it is open to him to go to the district court under section 18 of the Act, for enhancement of the compensation amount. Under the Coal Bearing Areas Act of 1957, compensation is fixed by mutual agreement and if there can be no agreement, a tribunal is appointed which will go into the question and which will fix a reasonable compensation. In the two cases which are covered by this Bill, compensation has been paid and received by the persons affected and possession has already been given and the two areas are being worked by the NCDC. Therefore, because of the fact that the Madhya Pradesh High Court struck down the two notifications, I have to come to the House for validating the earlier notifications.

It was also mentioned that labour laws are not properly implemented in the coal mines and also in Assam where two British companies are said to be owning some coal mines. If the labour laws are not implemented, I wonder what the trade unions are doing. It is for the trade unions to see that the labour laws are implemented. Why complain in this House against the Central Government? The Central Government is not having any jurisdiction over that matter.

I can say one thing about the implementation of the Coal Wage Board award. Many mincowners have not implemented the award. We are now trying to see that the Coal Wage Board award is implemented. Then only their tenders will be considered by the Railway Board because tenders have been issued for entering into contracts for the purchase of coal. When the Central Government comes into the picture, certainly action will be taken and is being taken.

Then, two other matters have been referred to about Bihar, fire and all that, which are not relevant here. It is a matter for the State Government concerned. Why not my hon. friend approach the Bihar State Government and see—

SOME HON. MEMBERS *rose*—

(*Interruption*)

SHRI JAGANATH RAO : Who is responsible? The accident took place at the time when there was a government in

the State of Bihar. We are also using the vast coal reserves that we have in this country. We have coking coal reserves which are not very much; we have medium coking coal and non-coking coal also. We have low grade coking coal in large quantities. The Government have taken a decision that there will be coal-based fertiliser plants in the country. We will utilise the low grade coal not only for the manufacture of fertilisers. Two fertiliser projects will be taken up in the fourth Five Year Plan, and thermal power stations are also there to utilise the coal. Therefore, all efforts are being made to utilise the coal reserves in the country because fuel is nowadays very difficult to get and more so in certain States like Uttar Pradesh where fuel is very difficult to obtain. Therefore, low grade coal should be made available to those people. Even in Bihar, near Dhanbad areas, people do not get coal because of the transportation difficulties. This is a matter which deserves consideration and we are looking into it to see that to the extent possible soft coal is made available to the consumers not only in the areas where coal is available but also in the distant parts of the country. As the House knows there is the difficulty of railway transportation.

श्री रामावतार शास्त्री: कोयले की खानों में जो प्राग लगी हुई है बरसों से उसने बारे में भी ध्यान है कि कैसे बुझेगी ?

SHRI JAGANATH RAO : All these coal mines except a few which are owned by NCDC are owned by the Private sector. It is a fact that whole of Dhanbad is under fire. The coal mines are under fire. Same is the case with Asansol. A time may come when both these cities will have to be evacuated because fire is there underground. As hon. Members have said, and I agree with them, coal mines are not being worked scientifically. We are also considering how best the coal reserves can be exploited to the maximum and how the mines can be worked satisfactorily on scientific lines.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

“That the Bill further to amend the Coal Bearing Areas (Acquisition and

[Deputy-speaker]

Development) Act, 1957, as passed by Rajya Sabha be taken into consideration."

The motion was adopted.

Clause 2 — (Amendment of Section 28.)

MR. DEPUTY-SPEAKER : We take up clause 2 of the Bill. There are some amendments.

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack) : Sir, I beg to move :

Page 2, —

after line 21, insert—

"Provided that without prejudice to the validity of any acquisition under this section or any declaration under section 9 in respect of any land covered by this section, any objection to acquisition filed in any subsequent stage of such acquisition proceeding shall be disposed of on its merits except in cases where physical possession has been taken by the Central Government, in which case such objection shall be treated as an application for enhanced compensation." (4)

Mr. Deputy-Speaker, Sir, this is a Bill in essence seeking appeal over a High Court judgment. The facts are, of course, when a Bill is there we can talk and while talking on a Bill we can talk from *Bharat Natyam to Rigveda*. Many things have been talked about but not the exact matter over which this Bill is here.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central) : A very serious reflection.

SHRI SRINIBAS MISRA : I am speaking about our privileges. Here there are two Acts. There is the 1894 Land Acquisition Act which requires that there should be certain notifications under certain sections. In 1957 another Act came into being. Under that there was a notification under section 7 and another under section 9. Some notifications under one section of the 1894 Act were deemed to be notifications under another section of the 1957 Act. Somehow the draftsman committed that error. In six cases there was no objection but two cases went up to the Madhya Pradesh High Court and their Lordships

said that once you have made a provision that objections under section 5-A will be treated as objections under section 8 you have not made any provision for cases where no objection has been filed. So these two proceedings were set aside. Now the Government has come forward with this Bill to validate those proceedings and that without compensation.

Now they are committing another blunder. If you have taken possession of the coal bearing area you may not return it. Only for the technical error these two proceedings have been set aside and you can validate them. But you are again making another blunder by not providing for compensation. I thought the hon. Minister must have given serious thought to this. I only want to add :

"Provided that without prejudice to the validity of any acquisition under this section of any declaration under section 9 in respect of any land covered by this section, any objection to acquisition filed in and subsequent stage....."

I am not saying "at the objection stage of section 4, section 5 or section 7. What I have said is :

"...in any subsequent stage of such acquisition proceeding shall be disposed of on its merits."

Why should he fight shy? If really the acquisition proceeding is alright, if really Government needs it and it is in the interest of the country, why should he fight shy of an inquiry and deciding the matter on merits. So I propose it should be incorporated here that it should be decided on its merits. Further I have said :

"except in cases where physical possession has been taken by the Central Government, in which case such objection shall be treated as an application for enhanced compensation."

There is a provision for enhanced compensation. This may be treated as possession not being taken. Then it should be treated as an application for enhanced compensation. I hope the hon. Minister will have no objection to accepting this

proviso which saves it from further attack. Because, you cannot forfeit property by a legislation which says "we validate it without paying compensation". For validation you must pay compensation. So, to save his own skin and our prestige, so that it may not be set aside by some High Court, let him accept this.

SHRI JAGANATH RAO : I am afraid the hon. Member has not understood the scope of this amendment. In the two cases that went before the High Court which were struck down compensation was paid and the cases were closed. Only because of some technical defect in the Act the High Court has struck down the provision. This is to validate that. It is only a deeming provision that I am seeking. Compensation has been paid to those persons in those two cases. They relate to the period 1958-59. Section 4 notification was issued under the Land Acquisition Act. Objections should have been raised under section 5-A within a time-limit. If the objections are not filed by that time then they could not do so at the subsequent stage. So, all these processes have been undergone. In both cases possession has been given and compensation has been paid. Therefore, the amendment which the hon. Member has suggested is not called for.

SHRI SRINIBAS MISRA : I think I have to return this compliment by saying that the hon. Minister has not understood the position. When the whole proceeding has been struck down by the court, how can he say that the matter is closed? It has been re-opened by the High Court. Why did they go to the court if they did not want more money?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will put the amendment to the vote. The question is :

Page 2, —

after line 21, insert—

"Provided that without prejudice to the validity of any acquisition under this section or any declaration under section 9 in respect of any land covered by this section, any objection to acquisition filed in any subsequent stage of such acquisition proceeding shall be disposed of on its merits

except in cases where physical possession has been taken by the Central Government, in which case such objection shall be treated as an application for enhanced compensation."

The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That clause 2 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause I—(Short-title)

Amendment made :

Page 1, line 4,

for "1967" substitute "1969" (2)

(Shri Jaganath Rao)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made :

Page 1, Line 1,

for "eighteenth" substitute "Twentieth" (1)

(Shri Jaganath Rao)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The title was added to the Bill.

SHRI JAGANATH RAO : I beg to move :

"That the Bill, as amended, be passed",

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is.....

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय मैं कुछ कहना चाहूंगा थर्ड रीडिंग पर।

SHRI SRINIBAS MISRA : Sir, I rise on a point of order. I had pointed out earlier that by pressing this amendment there will be some provision for compensation. Now that having been defeated I submit that this Bill is unconstitutional. As you know, under the Constitution there can be no acquisition of property without making a provision for compensation. This Bill seeks to say that because we paid somebody during some pre-historical times some money, therefore we will go on acquiring it, validate the acquisition under the law without payment of compensation. It suffers from this defect because of the Minister not accepting that amendment.

The second defect is that there is no provision for compensation. They did something illegally and whatever has been done in the past is being validated by saying that they are not going to pay anything more. On that score the whole Bill is not in order and it is beyond the competence of this House to pass this Bill.

SHRI JAGANATH RAO : This Bill does not deal with compensation. There is the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act of 1957, sections 13 to 17 of which deal with the method and manner of payment of compensation. Also, there is a tribunal appointed and the party affected, which is not satisfied with the compensation paid, can go to the tribunal for enhanced compensation.

Therefore, as I said, this Bill does not deal with compensation; it is not a regular Bill for acquiring land; it is only a Bill to validate certain lacuna which was pointed out by the High Court.

SHRI SRINIBAS MISRA : By not accepting the amendment this Bill now suffers from the defect. Had he accepted the amendment the Bill would not have suffered from it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : As the hon. Minister has explained just now, this Bill does not deal with the compensation part of it. It has a very limited purpose, as he has

explained. So, I do not think I can entertain the point of order.

SHRI SRINIBAS MISRA : If you permit me to speak one sentence, I take away your property, say, your watch and then validate it, the question of compensation does not arise. It is just like that. In the original Act there was the question of compensation. Now by this they are validating it. But can he say that they are not taking away property? They are taking away some property saying, "We take this." Where is the provision for that?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill, as amended, be passed."

Shri Goyal.

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक हाई कोर्ट के निर्णय के द्वारा जो कमी दूर करने का प्रश्न है, वहाँ तक तो मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ, परन्तु मैं श्री मिश्रा जी के साथ हूँ इस दृष्टिकोण से कि इस छोटे से कानून में भी जो एक स्वतन्त्र रूप से एक अलग कानून है, इसमें भी इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए थी कि हमें उनको क्या मुआवजा देना है क्योंकि अगर हम इसमें मुआवजा देने की व्यवस्था नहीं करते तो जो मूल विधेयक है, उस का लाभ उठा कर जिन लोगों को इससे हानि हुई है वह मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे। इस कारण उनके अधिकारों पर उस सीमा तक यह कुठाराघात है।

दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे मंत्री महोदय इस बात का विचार करेंगे कि आज जहाँ पर हम जनता के हित में लोगों की जमीनों प्राप्त करते हैं, वह बहुत सस्ते दामों पर करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीघे के हिसाब में, 500 रुपये बीघा या हजार रुपये बीघा के हिसाब से उसको लेते हैं और उसके बाद हम उसको ऐसे उद्देश्य के लिए प्रयोग करते हैं कि जिसका उपयोग और जिसका लाभ साधारण व्यक्ति को होने की वजह से कुछ लोगों को होता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो

पब्लिक इन्ट्रेस्ट की बात है, यह जो एक गोलमोल इन्ट्रेस्ट है, इसकी लपेट में हम अनेकों प्रकार की चीजें इसके अन्दर कर रहे हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : May I point out that the whole question is being examined by a committee, as you know ?

श्री श्रीचन्द गोयल : थोड़े में मैं कहूंगा। मैं दो तीन बातें निवेदन करना चाहता हूँ इस मिलसिले में। एक तो जो पब्लिक इन्ट्रेस्ट का शब्द है, आज यह इतना विस्तृत शब्द है, इसका दायरा इतना खुला हुआ है कि इसमें जो चीजें जनहित में नहीं आती हैं, उनको भी लाने का प्रयत्न करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। कोआपरेटिव सोसायटी के लिए हम जमीन अक्वायर करते हैं। कोआपरेटिव सोसायटीज में कोई दस-बीस शेयरहोल्डर्स हैं। उनके उपयोग के लिए हम सरकार के माध्यम से जमीन अक्वायर करते हैं। जो जमीन के मालिक हैं कौड़ियों के मोल उनसे वह जमीन खरीदते हैं और फिर कुछ व्यक्तियों के उपयोग के लिए उस भूमि का उपयोग करते हैं। मैं समझता हूँ कि उनके साथ यह बड़ा भारी अन्याय है। मुझे चंडीगढ़ का अनुभव है। चंडीगढ़ में हम लोग क्या करते हैं। लोगों को, ग्रामों को नष्ट करके उनकी जमीनें अक्वायर करके आज हम उस जमीन का उपयोग कुछ चीजों के लिए करते हैं। यहाँ तक कि वहाँ के सरकारी कर्मचारी चिल्ला रहे हैं कि हमें नो प्राफिट, नो लास बेसिस पर डेवलपमेंट का खर्च लगाकर उसपर सरकारी कर्मचारियों को जमीन दो, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। अगर 20 रुपये वर्ग गज के हिसाब से भी होती है तो उसका 60-60, 70-70 रुपये वर्ग गज के हिसाब से वसूल करते हैं।

दूसरी कठिनाई यह है कि जिन लोगों की जमीन हम अक्वायर करते हैं उसके लिए इस बात का भी प्रायोजन नहीं करते कि उनको कम से कम अपने लिए एक मकान बनाने के लिए किसी न किसी रूप में जगह दें।

MR. DEPUTY SPEAKER : "May I point out again that the question of "public interest", "land acquisition" and all that those things are being examined thoroughly by the Mulla Committee ? I think, this is not the occasion to raise it.

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं समझता हूँ कि इस अवसर पर मंत्री महोदय की नजर में जो लोगों की कठिनाई है वह इस माध्यम से उनके सामने रखूँ ताकि वह उसका दिचार करके जो संशोधन करने जा रहे हैं उसमें इस बात की व्यवस्था करें कि जिन लोगों की भूमि वह प्राप्त करते हैं, सरकारी कानून के द्वारा उसके अन्दर इस बात की व्यवस्था की जाए कि कम से कम जिनकी जमीनें छिनती हैं, जिनके व्यवसाय उनसे छिनते हैं, आजीविका कमाने के साधन छिनते हैं तो कम से कम रहने के लिए एक प्लॉट तो उसको दे सकें जिसमें कि वह मकान बना सकें। इस वास्ते मैं इस व्यवस्था की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

जहाँ तक पब्लिक इंटरेस्ट का ताल्लुक है, सचमुच जनहित में जो बात है उसके लिए भूमि प्राप्त की जाये। कुछ लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए हजारों लोगों का अहित करें, उनका नुकसान करें, यह ठीक नहीं है। मैं यह प्रार्थना करूँगा, मंत्री महोदय से, कि इन सारी बातों पर विचार करके जो लैंड ऐक्वीजिशन ऐक्ट में सरकार संशोधन लाने जा रही है, उसमें इन सारी बातों का ध्यान रखें।

SHRI JAGANATH RAO : Sir, I have already explained all these aspects. Under this Act, we are not acquiring any new land. Under the earlier Notification, I acquired the land and paid the compensation. It is only to remove a technical defect as pointed out by the High Court of Madhya Pradesh that I have come forward with this enactment. This is only an enabling enactment to remove that lacuna.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That the Bill, as amended, be passed"

The motion was adopted.